JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250-4960; e-mail : info@brlp.in; Website : www.brlp.in

कार्यालय आदेश

ग्रामीण गरीबी निवारण योजना (Village Poverty Reduction Plan-VPRP) के निर्माण एवं ग्राम पंचायत विकास योजना से एकीकरण के सम्बन्ध में ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक J-11060/13/2015=RL-Part (1)-359855 दिनांक 5 जुलाई 2022 के आलोक में विभिन्न विभागों के समन्वय से ग्राम पंचायत विकास योजना बनाए जाने का कार्य किया जाना है | इसके तहत मुख्य रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण के दौरान समुदाय आधारित संगठनों (स्वयं सहायता समूह एवं उच्चस्तरीय संगठन) के माध्यम से *ग्रामीण* गरीबी निवारण परियोजन (VPRP) का निर्माण एप के माध्यम से कराया जाना है | कार्यक्रम को **मिशन "दो कदम - स्वशासन की ओर"** के रूप में जाना जाएगा ।

ग्रामीण गरीबी निवारण योजना(VPRP)

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना सम्बंधित ग्रामीणों की मांग पर आधारित योजना है | इन योजनाओं को स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों और ग्राम संगठनों के द्वारा तैयार किया जाता है | दोनो स्तरों पर तैयार योजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में शामिल कर मासिक रूप से पंचायतो के सहयोग से क्रियान्वयित करवाए जाने का निरंतर प्रयास किया जाना है ताकि सदस्यों एवं सामुदायिक संगठनों में गरीब परिवारों के हित में निर्णय लेने की क्षमता का और विकास हो सके । इस प्रक्रिया के दो मुख्य भाग है : -

क. समूह स्तर पर योजना का निर्माण :-

1. हकदारी मांग योजना (Entitlements Plan)
2. आजीविका मांग योजना (Livelihoods Plan)

ख. ग्राम संगठन/ ग्राम स्तर योजना का निर्माण :-

1.सामुदायिक स्तर की योजनायें (Public Goods, Services & Resource Development)

2.सामाजिक विकास संबंधित योजनायें/ सामाजिक मुद्दें (Social Issues)

नोट :- ग्राम पंचायत स्तर पर चारो योजनाओं की प्राथमिकता तय करते हुए उनका समेकन किया जाना है ।

1. **प्रशिक्षण**

- जिला द्वारा प्रखंड परियोजना प्रबंधक , आजीविका विशेषज्ञ /क्षेत्रीय समन्वयक और SD नोडल समन्वयक का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा ।

- ग्राम संगठन स्तर पर दो CRP (Entilement CRP और Livelihoods CRP) का चयन किया जाना है जिनका दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रखंड द्वारा आयोजन किया जाना है ।

नोट :- राज्य स्तर से प्रशिक्षित प्रशिक्षको एवं नोडल कर्मियों जिला स्तर पर प्रशिक्षक का कार्य करेंगें ।

सभी प्रशिक्षण निम्न तालिका अनुरूप समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रतिभागी	जिम्मेवारी	समय सीमा
प्रखंड परियोजना प्रबंधक , LHS/AC और नोडल AC	DPCU	14-20 सितम्बर 2022
प्रखंड परियोजना प्रबंधक / LHS/ AC/ CC (GPDP फैसिलिटेटर सहित) Livelihoods app पर प्रशिक्षण	NMMU, NRLM	12 और 13 सितम्बर 2022
CRP प्रशिक्षण (दो दिवसीय)	BPIU	20-27 सितम्बर 2022
पंचायती राज प्रतिनिधियों का उत्प्रेरण	BPIU	20-27 सितम्बर 2022
VPRP अवधारण प्रशिक्षण (CLF)	BPIU	21-30 सितम्बर 22
VPRP अवधारण प्रशिक्षण (VO)	CRP संयुक्त रूप से	21-30 सितम्बर 2022

2. VPRP तैयार कर एप के माध्यम से संधारित करना

a. स्वयं समूह स्तर पर

- Entilement CRP, समूह/ग्राम संगठन स्तर पर बैठक के दौरान हकदारी एवं Livelihoods CRP आजीविका संबंधित योजनाएं बना कर संधारित करेंगें। ग्राम संगठन / पंचायत स्तर पर समुदाय से प्राप्त सभी योजनाओं का समेकन करते हुए ग्राम सभा में समर्पित किया जाना है ताकि उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में योजना के रूप में प्रस्तावित किया जा सके |

- NRLM VPRP मोबाइल एप्प Google Play Store/ APK से Download किया जा सकता है | NRLM VPRP मोबाइल एप्प के उपयोग के लिये User ID एवं Password प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा |

b. ग्राम संगठन स्तर पर

- CRP Entitlements ग्राम संगठन स्तर पर सामुदायिक स्तर की योजनायें (Public goods & services) और सामाजिक विकास संबंधित योजनायें/ सामाजिक मुद्दें (Social Issue) से संबंधित जानकारी एकत्र कर NRLM VPRP app पर अपलोड भी करेंगे/करेंगी | CRP Livelihoods आजीविका संबंधित योजनाएं बना ग्राम संगठन कर समेकित करेंगें।

c. पंचायत स्तर पर

- प्राथमिकता तय करने हेतु संकुल संघ के द्वारा विशेष बैठक का आयोजन किया जाना है ।बैठक में सभी सम्बंधित AC/ CC भाग लेंगे ।पंचायत वार सभी CRPs की उपस्थिति में एक –एक Entitlements और Livelihoods CRP द्वारा नोडल के रूप में योजनाओं समेकन का कार्य किया जाएगा ।

- पंचायत स्तर पर एकत्र VPRP योजना को e-gramsawaraj के पोर्टल पर प्रविष्टी किया जाना है | यह कार्य प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक के सहयोग से पंचायतो के द्वारा सुनिश्चित किया जाना है |

➢ ग्राम पंचायत स्तर पर समन्वय हेतु प्रति पंचायत एक GPDP फैसिलिटेटर (कर्मी / कैडर) का चयन कर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को देंगे जो VPRP को पंचायत से समन्वय स्थापित कर GPDP में शामिल करवाएंगे l पंचायत स्तर पर समेकन करने वाले केडर को यह कार्य देना श्रेयकर होगा l

3. समन्वय एवं अनुश्रवण

- जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक, हेल्पडेस्क एवं प्रबंधकों के साथ दैनिक रूप से VPRP निर्माण एवं प्रगति की समीक्षा करेंगे ।
- प्रखंड् स्तर पर गुणवत्ता पूर्ण आजीविका योजना के निर्माण हेतु LHS नोडल कर्मी के रूप में कार्य करेंगें l

4. कार्य समय-सीमा

मिशन भागीदारी का कार्य निम्न समय तालिका के अनुरूप किया जाएगा ताकि ससमय मनरेगा एवं GPDP के योजनाओं में शामिल किया जा सके :-

प्रतिभागी	जिम्मेवारी	समय सीमा
SHG Entitlements Plan बनाना	CRP Entitlements	25 सितम्बर से 15 अक्टूबर 22
SHG Livelihoods Plan बनाना	CRP Livelihoods	25 सितम्बर से 15 अक्टूबर 22
VO Entitlements Plan बनाना	VO CRP Entitlements	22-31 अक्टूबर 2022
VO Livelihoods Plan बनाना	VO CRP Livelihoods	22-31 अक्टूबर 2022
पंचायत समेकन और प्राथमिकता निर्धारण और ग्राम सभा में प्रस्तुति और e gramswaraj	Panchyat CRP Entitlements/ Livelihoods	5-7 नवम्बर 22/ ग्राम सभा के तिथी के अनुरूप

5. व्यय एवं भुगतान

- ग्रामीण गरीबी निवारण योजना के निर्माण उसे GPDP में शामिल करने हेतु सम्बंधित कैडर एवं स्टाफ एवं अन्य का प्रशिक्षण हेतु कैडर/ कर्मी के निर्धारित दर पर व्यय किया जा सकता है |
- अनुश्रवण हेतु इस कार्य में जिला एवं प्रखंड जीविका कार्यालय द्वारा दस (10) दिनों तक वाहन का उपयोग करेंगे l
- CRP को योजना से सम्बंधित जानकारी एकत्रित करने एवं उसे एप्प पर अपलोड करने के लिए प्रति दो समूह CRP दर से एक मानव दिवस का मानदेय देय होगा l ग्राम संगठन पर योजना से सम्बंधित जानकारी एकत्रित करने एवं उसे एप्प पर अपलोड करने के लिए प्रति ग्राम संगठन/ प्रति पंचायत दोनों CRP को प्रति VO भी एक-एक मानव दिवस मानदेय दिया जाएगा |
- पंचायत फैसिलिटेटर- CRP 5 दिवस का CRP के दर से भुगतान किया जा सकता है l
- इस कार्य में होने वाले सभी वास्तविक व्यय का वहन NRLM के IBCB मद से किया जाएगा ।

VPRP नोडल पदाधिकारी के रूप में श्री नीरज कुमार सिंह, परियोजना प्रबंधक (अधिकार) मोबाइल 7542023837 ईमेल pm.sde@brlps.in,आजीविका सर्वेक्षण का संयोजन श्री अनिल कुमार 7808920108 pm.lh@brlps.in, तकनिकी समन्वयन श्री चन्दन कुमार chandan.itbrlps@gmail.com 9771478331 और हेल्पडेस्क 18005721192 से प्राप्त की जा सकती है I VPRP कार्य में सहायता हेतु बिभिन्न तकनीकी सहयोग संस्थान / जीविका युवा पेशेवर के निम्नलिखित सदस्य, जिलों को सहायता प्रदान करेंगे I जिला स्तर पर प्रबंधक सामाजिक विकास नोडल कर्मी के रूप में कार्य करेंगें I

क्रम	जिला का नाम	जीविका सहयोगी सदस्य का नाम	सहयोगी संस्थान
1.	मॉडल CLF और बेगुसराय, नवादा , किशनगंज कटिहार	राकेश कुमार, YP 7004971890	PRADAN
2.	अररिया, गया (मोहनपुर) सहरषा,सारण	निलेश कुमार , YP 9731009398	GIZ
	मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढी, शेखपुरा, अरवल मोतिहारी, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर , पटना		
3	मधुबनी गया, दरभंगा सुपौल, नालंदा	जीतेन्द्र कुमार, YP 8102926126	PCI प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल
	औरंगाबाद, रोहतास , कैमूर , लखीसराय , सारण, गोपालगंज, बेतिया		
4	समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगरिया, जमुई, बांका, जहानाबाद , भागलपुर, पुर्णिया	राकेश कुमार, YP 7004971890	

Signed by Rahul Kumar
(राहुल कुमार)
Date: 14-09-2022 17:16:19
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
Reason: Approved

प्रतिलिपि –

1. सभी जिला परियोजना प्रबन्धक एवं सभी जीविका राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को कार्यार्थ |
2. आयुक्त ,मनरेगा को सूचनार्थ एवं सहयोग हेतु I
3. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग , बिहार को सूचनार्थ
4. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ